उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-82/2020/790/41-2020-133(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2020

संख्या-61/2020/366/41-2020-133(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र जफराबाद स्थित योगीबीर बाबा रामेश्वर मंदिर राजेपुर एवं त्रिलोचन महादेव मंदिर के पर्यटन विकास के कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-61/2020/ 366/41-2020-133(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में त्रुटिवश मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ /जौनपुर तथा क्रमांक- 8 पर संयुक्त निदेशक पर्यटन , वाराणसी के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी अंकित हो गया है।

2. इस संबंध में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 6369/6-1-1/(38)/मु0मं0घो0/2019-20 दिनांक-24-2-2020 में की गई संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या-61/2020/ 366/41-2020-133(बजट)/2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 पर अंकित जनपद- जौनपुर को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है एवं क्रमांक-8 पर अंकित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर संयुक्त निदेशक पर्यटन , वाराणसी अंकित किया जाता है। तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-82/2020/790/41-2020-133(बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, जौनपुर ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / जौनपुर ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11- परियोजना प्रबंधक , उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 यूनिट-3 वाराणसी ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in